न्यायालय उपखंड अधिकारी, श्री डूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 85 / 2019 आदेश दिनाक 22-11-2019

डालनाथ पुत्र कुँभनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम रिड़ी तहसील श्री डूंगरगढ़

-वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर

-प्रतिवादी

उपस्थिति –

1. श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एलआरए

यह वाद इस न्यायालय में डालनाथ मार्फत श्री मोहन नाथ सिद्ध अधिवक्ता के पेश कर निवदन किया कि वादी ग्राम रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ का मूल निवासी है। वादी के खातेदारी का खेत खसरा न. 779/69 तादादी 5.3300 हेक्टेयर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त खसरा न. 779/69, जो मूल खसरा न. 69 तादादी 10.65 हेक्टेयर से टूटकर बना है जिसके पुराना खसरा न. 60 तादादी 60.65 बीघा वाके रोही बाडेला है। वादगत खेत पुराना खसरा न. 60 तादादी 42.02 बीघा को उसके पूर्व खातेदार फुषा वल्द दूदनाथ से वादी व उसके भाई भंवरनाथ ने जरिये बैनामा बहिस्सा बराबर लिया, जो बैनामा इ.न. 424 द्वारा दिनांक 15.08.1988 को तस्दीक हुआ। उक्त बैनामा व इंतकाल न. 424 के संधारण के समय वादी का नाम लिपिकीय त्रुटी (pen slip) से डालनाथ की बजाय डालूनाथ दर्ज हो गया। वादी ग्रामीण परिवेश का, कम पढ़ा लिखा, खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति है, अपने खेती बाड़ी के काम की व्यस्तता के कारण लिपिकीय त्रुटी (pen slip) से हुई उक्त भूल का ज्ञान वादी को उस समय नही हो पाया।

उक्त लिपिकीय त्रुटी वादी के खेत के राजस्व रिकोर्ड में आगे से आगे संधारित होती रही। वादी का शुद्ध नाम डालनाथ पुत्र कुँभनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम रीडी तहसील श्री डूंगरगढ़ है जो वादी के मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में शुरू से दर्ज चला आ रहा है। बैनामा इंतकाल दर्ज होने के पश्चात वादी अपने 1/2 हिस्से तक उक्त खेत खसरान का कब्जा,उपयोग-उपभोग शुरू से ही करता आ रहा है। वादी को उक्त खसरान के राजस्व रिकोर्ड दस्तावेज को निकलवाने की कभी आवश्यकता नही पड़ी।

माह सितम्बर 2019 में वादी ने अपने उक्त खसरा न. 779/69 तादादी 5.3300 हेक्टेयर वाके रोही बाडेला की जमाबंदी पटवारी हल्का से निकलवाई तो वादी को सर्वप्रथम बार ज्ञात हुआ की उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध रूप से डालूनाथ दर्ज हो रखा है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध करवाने व अपने शुद्ध नाम की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार रखता है। वादी को जानकारी की दिनांक से वाद हेतू हासिल हो गया है। वादी ने अपने अशुद्ध नाम को राजस्व रिकार्ड में शुद्ध करवाने का हल्का पटवारी व तहसीलदार से निवेदन किया तो उन्होंने दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

15.09.2019 को स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए सक्षम राजस्व न्यायालय से वादी के नाम की रिकोर्ड दुरुस्ती व घोषणा करवाने का कहा। यही वादी का वाद लाने का वाद हेतु है। यह है कि वादी को अपने वादगत खेत खसरान में शीघ्र ऋण लेने की सदभावी आवश्यकता है। भूमिधारी स्टेट के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80(1) सी.पी.सी. का दो माह पूर्व का नोटीस देने का कानूनी प्रावधान है। दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस देने की पालना करने पर अत्यधिक विलम्ब हो जाने से दावा दायरी का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। इसलिए धारा 80(2) सी.पी.सी. में छुट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद पेश केर नेवादन किया है कि खेत खसरा न. 779/69 तादादी 5.3300 हेक्टेयर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम डालनाथ पुत्र कुँभनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम रिड़ी तहसील श्री डूंगरगढ़ की घोषणा की जावे। प्रतिवादी को आदेशित किया जावे की वह खेत खसरा न. 779/69 तादादी 5.3300 हेक्टेयर वाके रोही बाडेला तहसील श्री डूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम डालनाथ पुत्र कुँभनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम रिड़ी तहसील श्री डूंगरगढ़ अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी स्टेट की तरफ से जबाब पेश हुआ कि वादगत खेत खसरा नम्बर 779/69 तादादी 5.3300 हैक्टयर वाके रोही बाडेला के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम डालनाथ पुत्र कुंभनाथ जाति सिद्ध निवासी रिडी तहसील श्री डूँगरगढ की घोषणा करना व इसी अनुसार उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना न्यायोचित है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

## निर्णय

खेत खसरा नम्बर 779/69 तादादी 5.3300 हैक्टयर वाके रोही बाडेला के राजस्व रिकार्ड में जहॉ जहॉ वादी का नाम डालूनाथ दर्ज है उसके स्थान डालनाथ शुद्धि करने के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । डिक्री जारी हों ।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आदेश सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.12.04 12:13:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: